भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2954

10 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: कृषि योग्य भूमि का उपयोग

2954. श्री वीरेन्द्र सिंहः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और ओडिशा सहित कई राज्यों में अप्रैल से जुलाई तक कृषि भूमि परती रहती है और संसाधनों और जागरूकता की कमी के कारण बड़ी संख्या में किसान इस अवधि के दौरान अपनी कृषि योग्य भूमि का उपयोग नहीं कर पाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास उक्त अवधि के दौरान किसानों की आय बढ़ाने के लिए ऐसी भूमि के उत्पादक उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु कोई विशिष्ट योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या नीलगाय, जंगली सुअर, साही और आवारा पशुओं जैसे जंगली जानवरों द्वारा किसानों की फसलों को गंभीर नुकसान पहुंचाया जाता है;

(ङ) क्या सरकार का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत ऐसे जंगली जानवरों द्वारा फसल को हुए नुकसान के लिए मुआवजा देने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो निर्धारित मुआवजे की राशि का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

<u>उत्तर</u>

<u>कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी)</u>

(क) से (ग): भूमि और कृषि राज्य के विषय हैं। भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II (राज्य सूची) की प्रविष्टि संख्या 18 के अनुसार, भूमि राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती है और राज्य कृषि योग्य क्षेत्र बढ़ाने और कृषि भूमि का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय करने के लिए उत्तरदायी हैं। तथापि, भारत सरकार नीतिगत पहलों और बजटीय सहायता के माध्यम से इन प्रयासों का समर्थन करती है।

भूमि के लाभकारी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने, फसल सघनता बढ़ाने और किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए कई पहलें की हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) और फसल विविधीकरण कार्यक्रम के तहत, राज्यों को क्षेत्र-विशिष्ट उच्च मूल्य वाली फसलों, दलहन, तिलहन और बागवानी फसलों को अपनाने के लिए सहायता प्रदान की जाती है, जिससे एकल फसल प्रणाली पर निर्भरता कम हो सके। सॉयल हेल्थ एंड फर्टिलिटी (एसएचएंडएफ), समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच), राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ) ऑयल पाम, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-तिलहन, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, जैविक और सतत कृषि के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई), वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी) जैसी योजनाएं किसानों को जलवायु-अनुकूल, उच्च मूल्य वाली और विविध फसलों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं।

पीएमकेएसवाई के तहत सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने से जल की कम उपलब्धता के दौरान जल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित होती है, जिससे कुशल फसल पैटर्न और जल संसाधनों का युक्तिसंगत उपयोग संभव होता है। इसके अतिरिक्त, सरकार कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) और एम-किसान जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जलवायु-अनुकूल बीज किस्मों, मिट्टी की नमी संरक्षण पद्धतियों और समय पर कृषि सलाह की सुविधा प्रदान करती है, जिससे किसान फसल चयन और भूमि उपयोग के संबंध में सूचित निर्णय ले सकें।

(घ) से (च) : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) में संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित फसलों/क्षेत्रों के लिए बुआई से पूर्व से लेकर कटाई के बाद तक, गैर-निवारणीय प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों को होने वाली हानि के लिए व्यापक जोखिम बीमा का प्रावधान है। जंगली जानवरों के कारण फसलों को होने वाली हानि, जिसे रोका जा सकता हैं, पहले इसमें शामिल नहीं थीं। तथापि, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (ईएफसीसी मंत्रालय) और राज्य सरकारों के अनुरोध पर, राज्यों को जंगली जानवरों द्वारा होने वाली हानि को व्यक्तिगत आकलन के आधार पर अतिरिक्त बीमा के रूप में अधिसूचित करने की अनुमति दी गई है, जिसे राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। योजना के प्रचालन दिशा-निर्देशों में इस प्रकार के कवरेज के लिए विस्तृत प्रोटोकॉल दिए गए हैं।

*****